## वैकल्पिक भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद इटावा की तहसील ताखा के मुख्यालय के निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्राम रूदौली की 1.000 हे0 वन भूमि के आस–पास की निजी भूमि को अधिग्रहीत किया जाना सम्भव नहीं है। तहसील ताखा के मुख्यालय का निर्माण इसी स्थल पर किया जाना जनहित में आवश्यक है।

तहसील ताखा के निर्माण हेतु ग्राम रूदौली की 1.000 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि की मॉग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है तथा इस परियोजना हेतु इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

जिलाधिकारी
इटावा।

(नितिन बंसल)
जिलाधिकारी,
इटावा।

*संलग्नक–*

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण धनराशि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद इटावा में तहसील ताखा के मुख्यालय के निर्माण में रूदौली वनब्लाक की 1.000 हे0 वनभूमि के हस्तान्तरण के प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन (वन) के शासनादेश सं0–1938/14.2.2002.405(L)/2001 दिनांक 16.07.2002 के बिन्दु सं0–3 के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के समय–समय पर होने वाले निर्णयों/शासनादेशों से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यथावश्यक मांग के अनुरूप धनराशि उप जिलाधिकारी, ताखा, इटावा के द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।

तिथि :

स्थान : इटावा

**(दिनेश कुमार सिंह)**
उप जिलाधिकारी, ताखा
इटावा

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
इटावा

उप जिलाधिकारी
ताखा (इटावा)

*संलग्नक–*

# शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद इटावा में तहसील ताखा के मुख्यालय के निर्माण में रूदौली वनब्लाक की 1.000 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के प्रकरण में हस्तान्तरित की जाने वाली वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा उसका भुगतान उप जिलाधिकारी, ताखा इटावा के द्वारा वन विभाग को कर दिया जायेगा।

तिथि :

स्थान : इटावा

(दिनेश कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी, ताखा
इटावा

उप जिलाधिकारी
ताखा (इटावा)

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
इटावा

*संलग्नक–*

## वृक्षों के मूल्य का बाजार भाव से वन विभाग को भुगतान करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद इटावा में तहसील ताखा के मुख्यालय के निर्माण के दौरान जितने वृक्षों को पातन होगा, उसकी उनकी क्षतिपूर्ति के लिए पुनः वृक्षारोपण हेतु जो व्यय वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, उप जिलाधिकारी, ताखा इटावा द्वारा देय होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्माण से होने वाले वृक्षों का निस्तारण किसी कारण वस वन विभाग द्वारा न हो तो उन वृक्षों का मूल्य बाजार भाव से कार्य करने से पूर्व वन विभाग को भुगतान करेगा।

तिथि :

स्थान : इटावा

(दिनेश कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी, ताखा
इटावा

उप जिलाधिकारी
ताखा (इटावा)

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
इटावा

*संलग्नक–*

## मानक शर्तो सम्बन्धी प्रमाण– पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शर्ते उप जिलाधिकारी, ताखा, इटावा को मान्य है।

## मानक शर्तें

(वन अनुभाग – 3, उ0 प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14–3–1980/82 दिनांक 31.12.85 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नही होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/ आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नही।

3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग , संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही करेगा।

4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथ इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हैं।

5. हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुॅचायेगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।

6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।

7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भ्व होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं व्यय जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9. सिंचाई विभाग/ जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियो/ पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलबध करायी जायेगी।

10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (।नजवउंजपब) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।

11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श उप जिलाधिकारी, ताखा, इटावा" द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में "प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0" के अतिरिक्त मुख्या अभियंता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी उप जिलाधिकारी, ताखा, इटावा द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

F:\Deeksha\Forest\Draftman\FORM-A(tahsil-1.00ha).doc

उप जिलाधिकारी
ताखा (इटावा)

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन- निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपड़ तथा तीन वर्ष तक परिशोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (OAK) के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करे उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ो का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–रक्षण की सम्भावना होती है, और नहर की दोनो पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वंय करायेगा।

17. उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जायें।

मैं उप जिलाधिकारी, ताखा, इटावा उ0प्र0 का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

तिथि :

स्थान : इटावा

(दिनेश कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी, ताखा
इटावा

उप जिलाधिकारी
ताखा (इटावा)

*संलग्नक–*

# भूमि–स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद इटावा में तहसील ताखा के मुख्यालय के निर्माण में रूदौली वनब्लाक की 1.000 हे0 वन भूमि का भू–स्वामित्व सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा का है।

**(कन्हैया पटेल)**
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इटावा

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
इटावा

**(दिनेश कुमार सिंह)**
उंप जिलाधिकारी, ताखा
इटावा

उप जिलाधिकारी
ताखा (इटावा)

*संलग्नक–*

# लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची

जनपद इटावा में तहसील ताखा के निर्माण में रूदौली वनब्लाक की 1.000 हे0 वनभूमि में विकसित की जा रही है, जिससे क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा। तहसील ताखा में बसे अनेक ग्रामों का बहुमुखी विकास होगा। तहसील ताखा के सभी ग्रामो में रहने वाले सभी परिवार एवं संपूर्ण जनसंख्या लाभान्वित होगी।

वलाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है:–

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अधीनी | 17 | टकपुरा | 33 | पुन्जा | 49 | मोहरी |
| 2 | आनन्दपुर | 18 | टाडेहार | 34 | पुरैला | 50 | रतहरी सरावा |
| 3 | अमथरी | 19 | ताखा | 35 | बकौली | 51 | रमपुरा पचार |
| 4 | आडरपुर | 20 | तिपटिया | 36 | बछरोई | 52 | राजीपुर |
| 5 | कसराहार | 21 | तिरखी त्रिलोकपुर | 37 | बदकन शाहपुर | 53 | रूद्रपुर इटुआहार |
| 6 | ककराही | 22 | दींग | 38 | बनीहरदू | 54 | रूदौली |
| 7 | कुदमपुर | 23 | नगरिया सरावा | 39 | बम्हनीपुर | 55 | रौंरा |
| 8 | कुइता | 24 | नगला कल्यानपुर | 40 | बहादुरपुर पचार | 56 | शेखपुर पचार |
| 9 | कुदरैल | 25 | नगला कीरतपुर | 41 | बालापुर | 57 | शोरों |
| 10 | कुरखा | 26 | नगला गुजराती | 42 | बेलाहार | 58 | सन्तोषपुर पचार |
| 11 | केशोपुर | 27 | नगला चिंता | 43 | भरतपुर कला | 59 | समथर |
| 12 | कौआ | 28 | नगला मानिकपुर | 44 | भरतपुर खुर्द | 60 | सरसईनावर |
| 13 | खनाबांधन | 29 | नगला मैरहा | 45 | भरतिया | 61 | स्रावा |
| 14 | खरगपुर सरैया | 30 | नगला छही | 46 | ममन–हिम्मतपुर | 62 | सौथना |
| 15 | खिरिया | 31 | नगला लालमन | 47 | मुरचाा | 63 | हरकुंजलपुर |
| 16 | चमरपुर–रूद्रपुर | 32 | पटियायत | 48 | मेंदीपुर | 64 | हिन्दूपुर वैदपुर |

तिथि :

स्थान : इटावा

(दिनेश कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी, ताखा
उप जिलाधिकारी
ताखा (इटावा)

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
इटावा

F:\Deeksha\Forest\Draftman\FORM-A(tahsil-1.00ha).doc

संलग्नक–

## राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य/रिजर्व बाघ/हाथी कोरीडोर सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद इटावा में तहसील ताखा के मुख्यालय के निर्माण में रूदौली वनब्लाक की 1.000 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति विषयक प्रकरण में वनभूमि के समीप अथवा 10 कि0मी0 की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभ्यारण्य / रिजर्व बाघ / हाथी कोरीडोर नही हैं।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इटावा

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
इटावा

(दिनेश कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी, ताखा
इटावा

उप जिलाधिकारी
ताखा (इटावा)

*संलग्नक–*

## चिन्हित वनस्वरूप क्षेत्रो की भूमि सम्मिलित नही होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद इटावा ताखा के मुख्यालय के निर्माण में रूदौली वनब्लाक की 1.000 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति विषयक प्रस्ताव में उक्त वनभूमि के अतिरिक्त **चिन्हित "वनस्वरूप क्षेत्रो" की कोई भूमि सम्मिलित नही हैं।**

**(कन्हैया पटेल)**
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इटावा

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
इटावा

**(दिनेश कुमार सिंह)**
उप जिलाधिकारी, ताखा
इटावा

उप जिलाधिकारी
ताखा (इटावा)

संलग्नक–

## निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद इटावा में ताखा के मुख्यालय के निर्माण में रूदौली वनब्लाक की 1.000 हे0 वन भूमि में निर्माण का कार्य प्रारम्भ नही किया गया हैं। ताखा तहसील के मुख्यालय के निर्माण का कार्य शासन की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।

तिथि :

स्थान : इटावा

(दिनेश कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी, ताखा

उप जिलाधिकारी
ताखा (इटावा)

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
इटावा

संलग्नक–

## संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एवं प्रभावित वनभूमि के क्षेत्रफल का विवरणः–

दिनॉक 12-9-15 क्षेत्रीय वन अधिकारी भरथना रेंज इटावा एवं उप जिलाधिकारी, ताखा के साथ प्रस्तावित तहसील मुख्यालय ताखा के निर्माण में रूदौली वनब्लाक की प्रभावित 1.0000 हे0 वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वनभूमि में किसी भी प्रकार के वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रस्तावित वनभूमि की मॉग न्यूनतम है एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

**प्रभावित वनभूमि के क्षेत्रफल का विवरण निम्नप्रकार हैः–**

| क्र0 सं0 | प्रभाग का नाम | रेंज का नाम | वनब्लाक का नाम | गाटा संख्या | वनभूमि का क्षेत्रफल (हे0में) | वनभूमि का कुल क्षेत्रफल (हे0में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इटावा | भरथना | रूदौली | 528<br>532 | 0.750<br>0.250 | 0.750<br>0.250 |
| | | | | योगः | 1.0000 हे0 | 1.0000 हे0 |

उप जिलाधिकारी,
ताखा, इटावा

उप जिलाधिकारी
ताखा (इटावा)

आशीष कुमार यादव
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
भरथना रेंज,

( कन्हैया पटेल )
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा।

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
इटावा